



छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

क्र. 5216 / सबद्धता / 2021
प्रति

छिंदवाड़ा दिनांक 23/06/2021

प्राचार्य,

राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय- अस्थाई वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2021-22 ।

सम्बद्धता हेतु आपके द्वारा प्रेषित आवेदन के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 के लिये आपके महाविद्यालय को निम्नांकित विषयों हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है, यह सम्बद्धता आगामी समय में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्य अथवा निरस्त की जायेगी।

विषय / शाखा	
बी.ए.	- आधार पाठ्यक्रम, हिंदी, अंग्रेजी, संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
बी.कॉम	- आधार पाठ्यक्रम, एकाउंट, मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
बी.एस.सी.	- आधार पाठ्यक्रम, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
हविज्ञान	- आधार पाठ्यक्रम, अनिवार्य विषय
एम.ए.	- हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी
एम.एस.सी.	- गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र
एम.काम	-
एम.एच.एस.सी.	- गानव विकास, एम.एच.एस.सी. - आहार पोषण

सामान्य शर्तें -

- शासन की मान्यता/नियामक संस्था की मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभिवचन पत्र के आधार पर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
- अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2022-23 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम - 27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वित्तीय सत्र समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में वार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन, विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हों) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- बिना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- प्रयागशाला, लाईब्रेरी तथा अन्य आवश्यक अघोसरचना तीन माह में निर्मित एवं विकसित किया जो व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
- किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

कुलसचिव

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

छिंदवाड़ा दिनांक 23/06/2021

पु. क्र. 5217 / सब. / 2021

प्रतिलिपि -

- कुलपतिजी के निज सहायक के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सादर सूचनार्थ।
- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग गोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर सभाग जबलपुर (म.प्र.)।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, नर्मदापुरम् सभाग होशंगाबाद (म.प्र.)।
- उपकुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक/गोपनीय शाखा को कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- प्रनारी आई.टी. सेल को सूचनार्थ।

सहायक-कुलसचिव
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)